

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 949

थाना कांड संख्या-300 वर्ष-2014 थाना-रामपुर जिला-गया से उत्पन्न

- =====
1. विक्की कुमार पिता - कपिल पासवान
 2. आंचल चौधरी उर्फ गोलू चौधरी, पिता स्वर्गीय वासे चौधरी, दोनों निवासी ग्राम-बगलाती, थाना बाराचट्टी (मोहनपुर), जिला-गया

... .. अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/गण

साथ

2017 आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 1050

थाना कांड संख्या-300 वर्ष-2014 थाना-रामपुर जिला-गया से उत्पन्न

- =====
1. शंकर मांझी पुत्र शिवधारी मांझी, निवासी ग्राम-बगलाती, थाना- बाराचट्टी मोहनपुर, जिला- गया।
 2. राज कुमार मांझी, पुत्र स्वर्गीय पंचू मांझी, ग्राम निवासी- बगलाती, थाना-बाराचट्टी मोहनपुर, जिला-गया।

... .. अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

... .. प्रतिवादी/गण

उपस्थिति :

(आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 949/2017 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

श्री रित्वाज रमन, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से : श्री मधुसूदन कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

(आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1050/2017 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री दुर्गानंद झा, अधिवक्ता

सुश्री अर्पणा झा, अधिवक्ता

सुश्री सोनी कुमारी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

=====

अपील - दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ दायर की गई जिसके तहत संबंधित ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 120 बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है।

माना - जांच अधिकारी ने अपने और आरोपी के बीच हुई बातचीत का कोई विवरण नहीं दिया, जिसे प्रकटीकरण बयानों में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस प्रकार के प्रकटीकरण बयानों को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और इसके आगे की गई वसूली कानून की नजर में खराब है। इसलिए, हमारा विचार है कि कोई भी प्रकटीकरण मेमो कानून के अनुरूप साबित नहीं हुआ। (पैरा 22)

धारा 313 के तहत परीक्षण का उद्देश्य आरोपी को साक्ष्य में उसके खिलाफ आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बनाना है। अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता के समान है। यदि यह दिखाया गया कि यह अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो इससे मुकदमा खराब हो जाएगा। (पैरा 26)

अभियोजन उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह स्थापित किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं/दोषियों ने कथित अपराध किए हैं और इसलिए, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है। (पैरा 28)

अपील की अनुमति है. (पैरा 32)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक : 06-05-2024

दोनों अपीलें भारतीय दंड संहिता की धारा 374(2) के तहत दायर की गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) 'कोड' में दिनांक 22.06.2017 को दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती दी गई है और दिनांक 03.07.2017 को विद्वान प्रथम द्वारा पारित सजा का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 100/2009 में यह आदेश पारित किया गया। 51/2015 (एसजे)/35/2017, रामपुर पीएस केस संख्या 300 से उत्पन्न 2014 दिनांक 19.10.2014, जीआर संख्या 5084/2014, जिसके द्वारा संबंधित ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध संहिता की धारा 124 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। दो साल के लिए आरआई से गुजरना पड़ता है और उन्हें आरआई से गुजरने की सजा दी जाती है धारा 364 और 34 के तहत आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और उन्हें सात साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है आईपीसी की धारा 201 और 34 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और उन्हें सात साल के लिए सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है आईपीसी की धारा 120(बी) के तहत 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1. सूचक का पुत्र, सुधीर कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, दिनांक 03.10.2014 को लगभग 04:00 बजे अपराहन घर से बाहर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस संबंध में सूचना देने वाले ने पूछताछ की अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। सुधीर कुमार पेशे से ड्राइवर था। वह टेम्पो चलाता था और उसका मोबाइल नंबर 8804659935 है। ट्रेसलेस होने से पहले, 02.10.2014 सूचक के मोबाइल पर मोबाइल नं. 9801957349 से चार बार कॉल आया तथा दिनांक 03.10.2014 को उक्त मोबाइल नं. से उन्नीस बार कॉल आया। सूचक को उक्त मोबाइल नं. के स्वामी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात, उसके पुत्र का मोबाइल ग्राम-काहुदाग से स्विच ऑफ हो गया।

2.2. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 51/2015 (एसजे)/35/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ताओं श्री अजय कुमार ठाकुर को सुना गया, जिनकी सहायता से अपीलकर्ता संख्या 1 के लिए श्री रित्वाज रमण और श्रीमती वैष्णवी सिंह और अपीलकर्ता संख्या 2 के लिए श्री मधुसूदन कुमार ने सहायता की, पटना उच्च न्यायालय सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 949/2017 और प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

3.1. हमने आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1050/2017 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों सुश्री अर्पणा झा और सुश्री सोमी कुमारी की सहायता से श्री दुर्गा नंद झा और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह को भी सुना है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की वह श्रृंखला पूरी करने में विफल रहा है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं ने

कथित अपराध किए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दो अभियुक्तों के तथाकथित इकबालिया बयान के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस प्रकार का इकबालिया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है और यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों में से एक के इकबालिया बयान के आधार पर, मृतक का शव/कंकाल जंगल में पाया गया था, कोई जब्ती पंचनामा तैयार नहीं किया गया था और किसी भी स्वतंत्र गवाह ने दूसरे जब्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके बाद विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि पटना उच्च न्यायालय की सी.आर. दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथाकथित दोषपूर्ण सामग्री के संबंध में अभियुक्तों से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 धारा 313 के तहत बयान । यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना कोई औपचारिकता नहीं है। विद्वान वकीलों ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

(i) सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1400 में रिपोर्ट किया गया।

(ii) रामानंद @ नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1400 में रिपोर्ट किया गया।

(iii) बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौंदर एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में रिपोर्ट किया गया।

(iv) इंद्रकुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1364 में रिपोर्ट किया गया।

(v) राज कुमार @ सुमन बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 609 में रिपोर्ट किया गया।

5. इसलिए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट को उन्हें बरी कर देना चाहिए था। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, फिर भी अभियुक्त के पटना उच्च न्यायालय के सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 के इकबालिया

बयान के आधार पर, मृतक का कंकाल जंगल से बरामद किया गया था। यहां तक कि मृतक के कपड़े, जूते और अन्य संबंधित सामान कंकाल के पास पाए गए थे। उक्त सामान की पहचान मृतक के भाई ने की थी। इस प्रकार, अभियुक्त के इकबालिया बयान के अनुसरण में मानव कंकाल की खोज साक्ष्य में स्वीकार्य है और इसलिए, जब सभी अभियुक्तों ने कथित अपराध किए हैं, जो अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखे गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित हो चुका है, तो ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से दोषसिद्धि का आदेश पारित किया है और इसलिए, वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री और अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया है। यह बात सामने आई है कि पीडब्लू-1 नीतू देवी मृतक सुधीर कुमार की पत्नी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 03.10.2014 को दोपहर 03:00-04:00 बजे अपराहन की है। उसके ससुर ने 05.10.2014 को घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में, पंद्रह दिनों के बाद, यह पता चला कि मोहनपुर के जंगल में एक मानव कंकाल मिला था।

7.1. जिरह में उसने कहा है कि उसके पति के दो दिन तक लापता रहने के बाद *सन्हा* दर्ज किया गया था। उसने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि मानव कंकाल और कुछ सामान पटना उच्च न्यायालय सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 उसकी मौजूदगी में मिले थे। मानव कंकाल उसके पति के लापता होने की तारीख से पंद्रह दिन बाद मिला था। उसके पति और जयशंकर बिहारी राव के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। उसके पति का मोबाइल फोन 03.10.2014 से बंद था। उसने 03.10.2014 को रात 11:00 बजे अपने पति के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था।

8. पी.डब्लू.-2 रणधीर कुमार, सुधीर कुमार का छोटा भाई है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। उक्त घटना दिनांक 03.10.2014 की है। उस दिन वह दिल्ली में अपनी इयूटी पर था। उसे फोन पर सूचना मिली थी कि उसका भाई दो दिनों से लापता है। उसे यह सूचना दिनांक 05.10.2014 को मिली। इसके अलावा उसने बताया है कि वह थाने गया और सुधीर का कॉल रिकार्ड निकालने को कहा। डिटेल मिलने के बाद उसने सुधीर के मोबाइल फोन से जिन-जिन नंबरों से फोन पर बात हुई थी, उन सभी पर कॉल किया। पुलिस शर्मा बाजार गई। पुलिस ने अरविंद पासवान से

सुधीर का मोबाइल फोन लिया और जब्ती सूची तैयार की। विक्की को थाने ले जाया गया। विक्की ने बताया कि उक्त मोबाइल फोन उसकी मां बबीता देवी ने दिया था। उसने यह भी बताया कि अंचल चौधरी उर्फ गोलू चौधरी, राज कुमार मांझी और शंकर मांझी ने सुधीर की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया है। जब अंचल चौधरी उर्फ गोलू चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय के सीआर.एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 को बताया कि उसके भाई का मानव कंकाल और उसका सामान पहचान लिया गया और बरामद कर लिया गया। गोलू चौधरी ने उनके सामने हत्या और साजिश के बारे में इकबालिया बयान दिया।

8.1. जिरह में उसने बताया कि वह 8 वर्षों से सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। साथ ही उसने बताया कि उसका और उसके भाई का शंकर से विवाद था। अंचल चौधरी ने 19.10.2014 को मोहनपुर थाने में इकबालिया बयान दिया था। वह भी जांच के दौरान पुलिस के साथ गया था। पुलिस ने उसे बुलाने के लिए नोटिस नहीं भेजा। उसने आगे बताया कि उसके भाई की हत्या एक लड़की से अवैध संबंध के कारण हुई थी। उसका बयान पुलिस के समक्ष दो बार दर्ज किया गया। उसने राज कुमार मांझी और शंकर मांझी का नाम नहीं लिया था। यह भी बताया कि विक्की ने बताया कि उसकी मां ने उसे मोबाइल दिया था और सुधीर की हत्या कर दी गई।

9. पी.डब्लू.-3 नीतू देवी रंजीत कुमार की पत्नी और मृतक सुधीर कुमार की भाभी है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब उसने दिल्ली में अपने पति को घटना के बारे में बताया तो उसने *सनहा* दर्ज कराने को कहा और अगले ही दिन घर आकर उसे खोजना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने मृतक का कॉल डिटेल निकाला तो पता चला कि उसका मोबाइल बाराचट्टी में बंद हो गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि, बाराचट्टी में मानव कंकाल मिला था। उसका पति पुलिस के साथ गया था।

9.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि घटना उसकी मौजूदगी में नहीं हुई। उसे सारी जानकारी अपने पति से मिली। एफआईआर दर्ज होने के दो दिन बाद पुलिस के सामने उसका बयान दर्ज किया गया।

10. पी.डब्लू.-4 रामनाथ प्रसाद मृतक सुधीर कुमार के पिता हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षित में कहा है कि उनका पुत्र दिनांक 03.10.2014 की शाम 04:00 बजे घर से यह कह कर निकला था कि कमाने जा रहा हूँ। अपनी पत्नी

को बता कर घर से निकला था। जब 10:00 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर कॉल किया गया लेकिन मोबाइल बंद मिला। अगली सुबह में अपने पुत्र की खोजबीन की। इस संबंध में उन्होंने अपने छोटे पुत्र को सूचना दी थी। दूसरे दिन भी पुत्र का कोई पता नहीं चला तो दिनांक 05.10.2014 को थाना में *सनहा* दर्ज कराया गया।

10.1. जिरह में उसने कहा है कि उसने अपनी आँखों से हत्या होते नहीं देखी। उसकी आँखों के सामने उसका कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। उसके मृतक बेटे के कपड़े 19 दिन बाद बरामद हुए।

11. पी.डब्लू.-5 अरविंद पासवान ने बताया कि रामपुर पुलिस ने उसे 19 तारीख को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को बताया कि मोबाइल फोन उसके चचेरे भाई ने दिया था। एस.एच.ओ. ने बताया कि उक्त मोबाइल फोन पटना उच्च न्यायालय सी.आर.ए.पी. (डी.बी.) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 उस व्यक्ति का है जिसकी हत्या हुई थी। जब उसे फोन दिया गया, तो उसका दोस्त रंजीत भी वहां मौजूद था।

12. पी.डब्लू.- 6 रंजीत कुमार ने बताया है कि वह विक्की कुमार और अरविंद पासवान को जानता है। विक्की कुमार ने उसके सामने ही अरविंद को मोबाइल दिया था। उसे नहीं मालूम कि पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है या नहीं।

13. पी.डब्लू.-7 डॉ. अरविंद कुमार ने 26.01.2015 को कंकाल के अवशेषों की मेडिकल जांच की। एक लकड़ी का बक्सा, जिस पर सिले हुए कपड़े से लपेटा हुआ, लेबल लगा हुआ और सीलबंद, आवश्यक कागजात के साथ प्राप्त हुआ। बक्सा खोलने पर, धूल और मिट्टी से सने हुए शरीर के निम्नलिखित हिस्से मिले:-

- "1. खोपड़ी-ऊपरी जबड़े सहित।
2. फीमर के साथ कूल्हे की हड्डी- 1
3. टिबिया- 1
4. फिबुला- 1
5. दायाँ ह्यूमरस-1

सभी हड्डियाँ और भाग खुरदरे हैं, जिनमें प्रमुख मांसपेशीय निशान हैं। खोपड़ी में प्रमुख फ्रोनटोनासल जंक्शन था; द्विविभागीय मार्ग; मास्टॉयड प्रक्रिया गोल और कुंद, बड़ा फोरामेन मैग्नम और कम प्रमुख पार्श्विका और ललाट उभार मौजूद थे। कंडाइलर पहलू लंबे और संकीर्ण थे और महल नया सेप्सिस था।

कक्षाएँ गोल मार्जिन के साथ चौकोर थीं। ऊपरी जबड़े में 6" दांत/सॉकेट थे। दांतों में भारी कसाव है। पेल्विक हड्डियों में एसिटाबुलम आर्टिक्यूलेशन एस्ट्रे के 2/3rd से अधिक है। प्रीऑरिकुलर कुस्कस अनुपस्थित है। ग्रेटर साइटिक नॉच नॉर्म संकीर्ण और गहरा है। इस्चियाल ट्यूबरोसिपी उलटी थी। इलियोपेटपिनल लाइन चिह्नित है। सबप्यूबिक कोण सुंदर है। फीमर के सिर में एक गोले के 1/3 से अधिक आर्टिकुलर सतह थी। गर्दन के आकार का कोण अस्पष्ट और सिर का कंडॉयल बड़ा था। सिर के ओसीसीपियल और पटना उच्च न्यायालय सीआर। एपीपी (डीबी) संख्या 949 2017 दिनांक 06-05-2024 स्फेनोइड हड्डियां जुड़ गई थीं। उपलब्ध सूखी और सड़ी हुई हड्डियों में भी किसी भी मृत्यु-पूर्व चोट का कोई सबूत नहीं था।

राय- (1) हड्डियाँ 50 + (-) 10 वर्ष की आयु के मानव पुरुष की थीं।

(2) रक्त समूहन को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त के धब्बे उपलब्ध नहीं थे। डीएनए और अन्य परीक्षण के लिए दो दांत और फीमर के एक हिस्से को पारदर्शी कांच के कंटेनर में संरक्षित किया गया था।

(3) मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकी क्योंकि मृत्यु-पूर्व किसी भी चोट का कोई साक्ष्य नहीं पाया जा सका जो अवशेषों की सड़ी-गली स्थिति के कारण भी हो सकता है।

(4) टी.डी. - लगभग 2 से 6 माह से लेकर मृत्यु तक। यह रिपोर्ट मेरे मार्क एक्सट 5" द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित है।

14. पी.डब्लू.-8 सैयद कमरुल अशान जांच अधिकारी हैं, जो 22.10.2014 को गया सिविल कोर्ट में जेएम के पद पर तैनात थे। उन्होंने अरविंद पासवान और रंजीत कुमार का बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया था। उन्होंने उनके बयान दर्ज करने से पहले जांच की थी कि उन्हें स्वेच्छा से बयान देना है या नहीं। जब रामपुर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, तो पता चला कि जो मोबाइल दिया गया था, वह किसी खोए हुए व्यक्ति का था।

15. पी.डब्लू.-9 गौरी शंकर गुप्त दिनांक 19.10.2014 को पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, रामपुर के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने बताया है कि अपहृत के मोबाइल का कॉल डिटेल पटना उच्च न्यायालय के सी.आर. ए.पी.पी. (डी.बी.) 4 संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 कम्पनी से सीधे पुलिस थाने के ई-मेल पर प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रतिलिपि केस डायरी में संलग्न कर प्रदर्श-

8 अंकित किया गया था। ई-मेल से संख्या 9801957349 पुनः प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि मोबाइल का प्रयोग दिनांक 07.10.2014 से मोबाइल धारक 9572674186 द्वारा किया जा रहा था, जिनके नाम सिम के साथ छन्नू पासवान का नाम पंजीकृत था। सिम संख्या 98019577349 किरण देवी पत्नी बालेश मांझी के नाम पर है। उन्होंने मोबाइल फोन धारक 9572694186 के घर पर छापेमारी कर अरविंद कुमार पासवान को मोबाइल व सिम के साथ गिरफ्तार कर लिया। उक्त मोबाइल सुधीर कुमार का था। पूछे जाने पर अरविंद ने बताया कि यह मोबाइल उसे उसके चचेरे भाई विक्की कुमार ने 07.10.2014 को दिया था। उन्होंने मोबाइल व सिम की प्रस्तुति सह जब्ती सूची बनायी। आगे बताया कि 19.10.2014 को अरविंद के भाई गुड्डू व अन्य ग्रामीणों ने विक्की को पकड़ कर थाना लाया जहां उसने अपना इकबालिया बयान दिया तथा घटना की जानकारी दी। उसने पेज 10 में बताया है कि उसकी मां बबीता देवी ने फोन कर सुधीर को बुलाया। गोलू चौधरी ने राज कुमार चौधरी शंकर मांझी से मिलकर सुधीर की पिटाई की, गला दबाया तथा पेट फाड़ कर हत्या कर दी। सुधीर का सैमसंग मोबाइल जिसका सिम नंबर 8804659935 तथा 700/- रुपये नकद मिले, जिसे विक्की कुमार ने अपनी मां बबीता देवी से लिया था तथा सिम निकालने के बाद उसे तोड़कर फेंक दिया था। वही मोबाइल अरविंद पासवान को दिया गया था। उसने घटनास्थल दिखाने तथा शव बरामद करने की मांग की थी, जिसके आधार पर मोहनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी अभियुक्त तथा मोहनपुर पुलिस जंगल में जाकर अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान से कंकाल के साथ शर्ट, पैंट, तौलिया तथा जूता बरामद किया। जब्ती सूची उसके ही लिखावट व हस्ताक्षर में है तथा प्रदर्श-13 अंकित है। गोली चौधरी व शंकर मांझी ने उसे बताया कि हत्या करते समय वे लोग भी जख्मी हो गये थे, जिसका उसने इलाज कराया था। इसके बाद गवाह अरविंद कुमार व रंजीत का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। मृतक के भाई रणधीर कुमार ने मृतक के कपड़े व जूते की पहचान की। पुनः गवाह रणधीर कुमार का बयान लिया गया जिसने बताया कि हत्या में बदन प्रसाद व बबीता देवी का भी हाथ है। जब्त हड्डी की जांच के लिए न्यायालय से एफएमटी विभाग को अनुमति प्रदान की गई। नारायण मेडिकल कॉलेज ने जूते, कपड़े व बरामद हथियार को जांच के लिए एफएसएल, पटना भेजा। उसने दोनों घटना स्थलों को जो कंडिका 8 में प्रथम घटना व कंडिका 30 में द्वितीय घटना स्थल बताया है। दूसरा घटना स्थल मोहनपुर थाना अंतर्गत बाराचट्टी जंगल है ।

15.1 उसने जिरह में बताया है कि फसुली पर खून के निशान पाए गए थे। मृतक के जूते व कपड़े की पहचान मृतक के भाई के अलावा किसी अन्य ने नहीं की है। गोलू चौधरी व शंकर मांझी को 21.10.2014 को इलाज के लिए भेजा गया था। डॉक्टर बताएंगे कि उनके शरीर पर जख्मों की क्या स्थिति थी। साथ ही यह भी बताया गया है कि सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल है जो पुलिस का ही अंग है। अनुसंधान में रणधीर कुमार भी साथ था जिसकी उपस्थिति डायरी में दर्ज है। कंकाल की जब्ती सूची में रणधीर का हस्ताक्षर नहीं है और उस समय उसकी उपस्थिति का विवरण भी नहीं है।

16. पी.डब्ल्यू.-10 दिनेश्वर सिंह दिनांक 19.10.2014 को रामपुर थाना में ए.एस.आई. सह साक्षर सिपाही के पद पर थे। उन्होंने इस केस की एफ.एस.एल. प्रदर्शित की थी तथा जब्त सामान पटना भेजा था।

17. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखे गए संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। अभिलेख से यह पता चलता है कि 19.10.2014 को राम नाथ प्रसाद (पीडब्ल्यू-4) द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेटा सुधीर कुमार 03.10.2014 को शाम 05:00 बजे के बाद से लापता है और उक्त तिथि को, उनके बेटे, जो एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और एक टेम्पो चला रहा था, उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आया। 02.10.2014 को भी, उनके द्वारा एक विशेष मोबाइल नंबर से फोन कॉल प्राप्त हुए, जिसका उल्लेख उक्त लिखित शिकायत में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि, इसके बाद, सूचक द्वारा दिए गए उक्त मोबाइल नंबर के आधार पर, जांच एजेंसी ने सुधीर कुमार के मोबाइल फोन का पता लगाया है। उक्त मोबाइल फोन अरविंद पासवान के पास से मिला। अतः उक्त अरविंद पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अरविंद पासवान पुलिस हिरासत में था, तब उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उक्त मोबाइल फोन उसके चचेरे भाई विक्की ने दिया था और इसलिए उसने मोबाइल फोन में अपने पिता चुन्नु पासवान के नाम का सिम कार्ड डाला था। इसके बाद अरविंद पासवान के उक्त बयान के आधार पर विक्की (अपीलकर्ता) को गिरफ्तार किया गया और 19.10.2014 को उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। उसके इकबालिया बयान के आधार पर अन्य आरोपी अंचल चौधरी उर्फ गोलू चौधरी को 20 अक्टूबर 2014 को गिरफ्तार किया गया। उसका इकबालिया बयान भी पुलिस ने दर्ज किया और आरोप है कि उसके बाद अन्य दो आरोपियों को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों ने वह

जंगल दिखाया, जहां गोलू चौधरी, राज कुमार मांझी और शंकर मांझी नामक तीन आरोपियों ने विक्की की मां बबीता देवी की मदद से मृतक सुधीर कुमार की हत्या कर दी अभियोजन पक्ष का मामला है कि विक्की ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि उसकी मां बबीता देवी ने उसे बताया कि उसने तीन अन्य आरोपियों की मदद से सुधीर कुमार की हत्या कर दी और मृतक का मोबाइल फोन और 700 रुपये ले लिए और उसके बाद सुधीर कुमार का मोबाइल बबीता देवी ने विक्की को मोबाइल फोन दिया और बदले में विक्की ने उक्त मोबाइल फोन अरविंद पासवान को दे दिया। इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कथित अपराध किए हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि प्रश्नगत घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्यों से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके मृतक सुधीर कुमार की हत्या करने के आरोपी के मकसद को साबित करने में विफल रहा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मकसद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, मानव कंकाल सुधीर कुमार के लापता होने की तारीख से 16 दिनों की अवधि के बाद पाया गया था।

18. अब, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि इकबालिया बयान के आधार पर मानव कंकाल की खोज की गई थी। इसके अलावा, मृतक के कपड़े और जूते भी उक्त स्थान से बरामद किए गए थे और इसलिए, उक्त खोज साक्ष्य में स्वीकार्य है।

19. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुब्रमण्य(सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें पैरा 76 से 79 में निम्नानुसार कहा गया है:-

"76. उपर्युक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार खोजों को साबित करने और स्थापित करने में सक्षम रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है:

"27. अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से कितनी जानकारी साबित की जा सकती है.-

परन्तु, जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि वह किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजा गया है, तो ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति हो या न हो, जो खोजे गए तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।"

77. उपरोक्त सभी अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य में पहली और बुनियादी त्रुटि यह है कि उनमें से किसी ने भी अपीलकर्ता द्वारा दिया गया सटीक बयान नहीं दिया है, जिससे अंततः साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रासंगिक तथ्य का पता चला।

78. यदि जांच अधिकारी के अनुसार अभियुक्त अपीलकर्ता ने हिरासत में रहते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से यह बयान दिया कि वह उस स्थान की ओर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार, शव को दफनाने का स्थान, कपड़े आदि छिपाए थे, तो जांच अधिकारी को सबसे पहले पुलिस थाने में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में पहुंच जाएं तो उसके बाद उनकी मौजूदगी में अभियुक्त से कहा जाना चाहिए कि वह उस स्थान की ओर इशारा करने के संबंध में उचित बयान दे, जहां उसने अपराध का हथियार आदि छिपाया है। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है तो अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक बयान या बल्कि उसके द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे जांच अधिकारी कानून के अनुसार तैयार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि अभियुक्त द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से यह बताने के लिए एक विशेष बयान दिया गया था कि अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या कोई अन्य वस्तु कहाँ छिपाई गई थी। एक बार पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच-गवाहों) के साथ उस विशेष स्थान पर जाएगा, जहाँ अभियुक्त उसे ले जा सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई वस्तु मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया का वह भाग पंचनामा का दूसरा भाग होगा। इस तरह से कानून जाँच अधिकारी से धारा 27 के तहत परिकल्पित खोज पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि हम जांच अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में कमी है।

79. उपर्युक्त संदर्भ में, हम **मुरली एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, जो (2009)9 एससीसी 41 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

"34. पंचनामा की विषय-वस्तु मूल साक्ष्य नहीं है। इस मुद्दे पर कानून तय है। मूल साक्ष्य वह है जो पंचों या संबंधित व्यक्ति द्वारा गवाह के कंधरे में कहा गया है...."

(जोर दिया गया)"

20. **रामानंद(सुप्रा)** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 51 से 53 में निम्नानुसार माना है: -

"51. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 24.01.2010 को आरोपी अपीलकर्ता को जांच अधिकारी ने बस स्टैंड के पास से उठाया और कथित अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया। आरोपी अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद और जब वह पुलिस स्टेशन में हिरासत में था, तब उसने अपनी मर्जी और इच्छा से यह बयान दिया कि वह उस जगह को इंगित करना चाहता है जहां उसने पटना उच्च न्यायालय के सीआर के हथियार को छिपाया था। एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 उनके अनुसार, आरोपी अपीलकर्ता द्वारा ऐसा बयान दिए जाने के बाद, वह अपने अधीनस्थों के साथ आरोपी के नेतृत्व में उस स्थान के लिए निकल पड़ा। जांच अधिकारी के मौखिक साक्ष्य में हमने कुछ बहुत ही असामान्य बात देखी है। उनके अनुसार, जब पुलिस दल और आरोपी अपने रास्ते पर थे, अचानक जांच अधिकारी को एहसास हुआ कि खोज का पंचनामा बनाने के लिए उनके साथ दो स्वतंत्र गवाह होने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, रास्ते में जांच अधिकारी ने पीडब्लू-2, छत्रपाल रैदास और प्रताप को पंच गवाह के रूप में कार्य करने के लिए उठाया। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी उन्हें एक धनिया के खेत में ले गया और एक झाड़ी से उसने अपराध का हथियार (बांका) और खून से सने कपड़े निकाले। अपराध का हथियार और खून से सने कपड़े दो पंच गवाहों की उपस्थिति में एकत्र किए गए और पंचनामा प्रदर्श 5 तदनुसार तैयार किया गया। अपराध के हथियार और उसके बाद खून से सने कपड़ों को सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में भेजा गया। हमारा मानना है कि निचली अदालतों ने तथ्य की खोज के इस साक्ष्य पर भरोसा करके गंभीर गलती की है, यानी, अभियुक्त के कहने पर हथियार और कपड़ों को अन्य परिस्थितियों की श्रृंखला में अपराध करने वाली परिस्थितियों में से एक के रूप में। हम नीचे बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं।

52. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 इस प्रकार है:

"27. अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से कितनी जानकारी साबित की जा सकती है.-- बशर्ते कि, जब किसी तथ्य की गवाही दी जाती है कि वह किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप पता चला है, ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या न हो, जो उससे प्राप्त तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है।"

53. यदि जांच अधिकारी का कहना है कि अभियुक्त अपीलकर्ता ने हिरासत में रहते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से यह बयान दिया कि वह उस स्थान को दिखाएगा जहां उसने अपराध के हथियार को अपने खून से सने कपड़ों के साथ छिपाया था, तो जांच अधिकारी को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस स्टेशन पहुंचें, तो उनकी मौजूदगी में अभियुक्त से कहा जाना चाहिए कि वह उस स्थान को इंगित करने के संबंध में अपनी इच्छानुसार कोई उचित बयान दे, जहां उसने

अपराध के हथियार को छिपाया है। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है, तो अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक बयान या बल्कि उसके द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे जांच अधिकारी कानून के अनुसार तैयार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि अभियुक्त ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशेष बयान दिया था जहाँ अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या अपराध करने में इस्तेमाल किया गया कोई अन्य सामान छिपाया गया था। एक बार पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के साथ अभियुक्त द्वारा बताए गए विशेष स्थान पर जाएगा। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून, दाग लगे कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई चीज़ मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामा का दूसरा भाग होगा। इस तरह से कानून यह अपेक्षा करता है कि जांच अधिकारी धारा 27 के तहत परिकल्पित खोज पंचनामा तैयार करे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि हम जांच अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में कमी है।"

21. बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 60 और 64 में निम्नानुसार माना है: -

"60. इस प्रकार, जब जांच अधिकारी ऐसे प्रकटीकरण कथन को साबित करने के लिए गवाह के कठघरे में खड़ा होता है, तो उसे अभियुक्त द्वारा बताई गई बातों को बयान करना होगा। जांच अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने और अभियुक्त के बीच हुई बातचीत के बारे में गवाही देता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है जिससे अपराध सिद्ध करने वाले तथ्य(तथ्यों) का पता चलता है।

64. इसके अलावा, *सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य* के मामले में, यह निम्नानुसार माना गया था:-

"82. उपर्युक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार खोजों को साबित करने और स्थापित करने में सक्षम रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है:

"27. अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से कितनी सूचना साबित की जा सकती है--

परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि वह किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजा गया है, तो ऐसी सूचना में से उतनी जानकारी, चाहे

वह संस्वीकृति हो या न हो, जो उस तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी।"

22. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि जब जांच अधिकारी ऐसे प्रकटीकरण कथन को साबित करने के लिए गवाह के कठघरे में आता है, तो उसे यह बताना होगा कि आरोपी ने उससे क्या कहा। जांच अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने और आरोपी के बीच हुई बातचीत के बारे में गवाही देता है जिसे लिखित रूप में लिया गया है जिससे अपराध करने वाले तथ्यों का पता चलता है।

22.1. वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने अपने और आरोपी के बीच हुई बातचीत का कोई विवरण नहीं दिया, जिसे प्रकटीकरण कथनों में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि इस प्रकार के प्रकटीकरण कथनों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है और इसके लिए की गई वसूली कानून की दृष्टि में अनुचित है। इसलिए, हमारा मानना है कि प्रकटीकरण जापनों में से कोई भी कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ।

23. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहां तक अपीलकर्ता विक्की का संबंध है, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, वह अपनी मां और तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मौजूद नहीं था जब यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जंगल में सुधीर कुमार की हत्या की है, उसके खिलाफ लगाया गया एकमात्र आरोप यह है कि उसकी मां ने अन्य आरोपियों द्वारा सुधीर कुमार की हत्या की घटना के बारे में सूचित किया और उसके बाद, उसकी मां ने मृतक का मोबाइल फोन विक्की को दिया, जिसे उसने अपने चचेरे भाई अरविंद पासवान को दे दिया। हमारा विचार है कि यह मानते हुए भी कि अभियोजन पक्ष की उक्त कहानी सही है, तब भी विक्की द्वारा अपनी मां द्वारा दिए गए मृतक के मोबाइल फोन को अरविंद पासवान को देकर कोई अपराध नहीं किया गया है।

24. राज कुमार (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 16 में निम्नानुसार माना है:-

"16. इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशिष्ट

रूप से, अलग-अलग और अलग-अलग रखे। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसकी दोषसिद्धि चाहता है;

(ii) धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रदर्शित किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है;

(iii) न्यायालय को सामान्यतः किसी विशेष अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय उन भौतिक परिस्थितियों पर विचार नहीं करना चाहिए, जिन्हें अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया है;

(iv) अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है तो इससे मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित होगी;

(v) यदि अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थिति प्रस्तुत करने में कोई अनियमितता न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो यह एक सुधार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, घटना की तारीख से समय बीतने पर विचार किया जाएगा;

(vi) यदि ऐसी अनियमितता सुधार योग्य है, तो अपीलीय न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक परिस्थिति के बारे में पूछताछ कर सकता है, जो उसके समक्ष नहीं रखी गई है; तथा

(vii) किसी दिए गए मामले में, मामले को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जा सकता है।

(viii) इस प्रश्न पर निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह हुआ है, तर्क उठाने में हुई देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।"

25. अब, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि, धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान को दर्ज करते समय, अभियुक्त से ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तिजनक सामग्री को इंगित करने वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था और, इसलिए, यह बचाव पक्ष का एक विशिष्ट मामला है कि अभियुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को इंगित करने वाला प्रश्न न पूछकर अभियुक्त को पक्षपातपूर्ण बनाया गया है। इसलिए, इस स्तर पर,

हम ब्रह्मदेव साहनी बनाम बिहार राज्य के मामले में आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 521/2015 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देना चाहेंगे। इस न्यायालय की खंडपीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार किया है और उसके बाद पैराग्राफ 23 से 26 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"23. राज कुमार उर्फ सुमन(सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 से 16 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"13. अब हम एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं। पैराग्राफ 22 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार माना:

"22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 न्यायालय पर यह दायित्व डालती है कि वह किसी भी जांच या सुनवाई के दौरान अभियुक्त से प्रश्न पूछे, ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम हो सके। इससे यह आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को उसके समक्ष विशिष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करना एक गंभीर अनियमितता है, जो सुनवाई को प्रभावित करती है, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। यदि अनियमितता वास्तव में न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो यह संहिता की धारा 537 के अंतर्गत सुधार योग्य है।"

(महत्व जोड़ें)

14. फिर हम समसुल हक के मामले में निर्णय पर आते हैं, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था। पैराग्राफ 21 से 23 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार माना: "21. हमारे विचार में, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, और जो अभियोजन पक्ष के मामले में ताबूत में कील ठोकर है, वह है जिस तरह से अदालत ने आरोपी 9 के सामने मामला रखा, और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया। कम से कम यह कहना तो बनता है कि यह औपचारिकता है। 22. यह कहना गलत नहीं होगा कि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों के मददेनजर, अभियुक्त को दोषी ठहराने वाली सामग्री दी जानी चाहिए ताकि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित मौका मिल सके। यह ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों की मान्यता में है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पूर्वोक्त संदर्भित निर्णयों के अलावा, हम असरफ अली बनाम असम राज्य [असरफ अली बनाम असम राज्य, (2008) 16 एससीसी 328: (2010) 4 एससीसी (क्रि) 278]। प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नलिखित पैराग्राफ में हैं: (एससीसी पृष्ठ 334, पैरा 21-22)

"21. संहिता की धारा 313 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अभियुक्त से पूछताछ या परीक्षण के लिए प्रश्न पूछे। उसके खिलाफ सबूत में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति। इससे यह

आवश्यक निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के खिलाफ सबूत में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को उसके सामने विशिष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से रखा जाना आवश्यक है और ऐसा न करना एक गंभीर अनियमितता है जो मुकदमे को निष्प्रभावी बनाती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। 22. संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में कोई बिंदु अभियुक्त के खिलाफ महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उस पर आधारित होने का इरादा है, तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी दोषपूर्ण सामग्री पर ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किया गया है, तो यह मुकदमे को निष्प्रभावी कर देगा। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या उन्होंने न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बना है। इस न्यायालय ने एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1976) 2 एससीसी 819: 1976 एससीसी (क्रि) 324] में भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342(संहिता की धारा 313 के अनुरूप) पर विचार करते समय ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को इसके प्रासंगिक पहलुओं में दोषसिद्धि सामग्री का संकेत न देना अभियोजन पक्ष के मामले की कमजोरी को बढ़ाता है। धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना एक उद्देश्यहीन अभ्यास नहीं है।" 23. उपर्युक्त टिप्पणियां करते समय, इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793] में तीन न्यायाधीशों की पीठ के अपने पहले के फैसले का भी उल्लेख किया: 1973 एससीसी (क्रि) 1033], जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर अभियुक्त से सवाल पूछने में चूक के नतीजों पर विचार किया गया, और यह आवश्यकता कि अभियुक्त का ध्यान हर दोषपूर्ण सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझा सके। आमतौर पर, ऐसी स्थिति में, ऐसी सामग्री जो अभियुक्त के सामने नहीं रखी गई है, से बचना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह माना जाता है, कि जहां पटना उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 313 सीआरपीसी के तहत एक औपचारिक जांच होती है। मामला उस चरण से फिर से प्रयास करने के निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है जिस पर अभियोजन बंद हो गया था [शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि) 1033]। (महत्व जोड़ें)

15. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने वहीथा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। यह मामला सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ करते समय की गई चूक के परिणामों से संबंधित नहीं है। यह केवल उस आकस्मिकता से संबंधित है, जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी जाती है। अब हम सत्यवीर सिंह के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं, जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने

भरोसा किया है। निर्णय में कहा गया है कि अपील में पहली बार सीआरपीसी की धारा 313 का पालन न करने के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि अभियुक्त यह साबित न कर दे कि उसके साथ पक्षपात किया गया है। यदि जल्द से जल्द आपति उठाई जाती है, तो संबंधित अभियुक्त का अतिरिक्त बयान दर्ज करके दोष को ठीक किया जा सकता है। उक्त निर्णय का सार यह है कि इतनी लंबी देरी यह तय करने में एक कारक हो सकती है कि क्या मुकदमा गलत है। इसके अलावा, शिवाजी साहबराव बोबडे के मामले में बड़ी बेंच का निर्णय बाध्यकारी है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अभियुक्त के साथ पक्षपात किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल हो जाता है, तो मुकदमा गलत हो जाएगा।

16. इस न्यायालय द्वारा निरन्तर निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशिष्ट रूप से, अलग-अलग और अलग-अलग रखे। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसकी दोषसिद्धि चाहता है;

(ii) धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रदर्शित किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है; पटना उच्च न्यायालय सीआर. एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024

(iii) न्यायालय को सामान्यतः किसी विशेष अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय उन भौतिक परिस्थितियों पर विचार नहीं करना चाहिए, जिन्हें अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया है;

(iv) अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है तो इससे मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित होगी;

(v) यदि अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थिति प्रस्तुत करने में कोई अनियमितता न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो यह एक सुधार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, घटना की तारीख से समय बीतने पर विचार किया जाएगा;

(vi) यदि ऐसी अनियमितता सुधार योग्य है, तो अपीलीय न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक परिस्थिति के बारे में पूछताछ कर सकता है, जो उसके समक्ष नहीं रखी गई है; तथा

(vii) किसी दिए गए मामले में, मामले को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जा सकता है।

(viii) इस प्रश्न पर निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह हुआ है, तर्क उठाने में हुई देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।"

24. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना और उस पर भरोसा करना चाहेंगे, जो (2020) 10 एससीसी 108 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 7 और 8 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"7. धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की जांच का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि यह अत्यंत अनौपचारिक और औपचारिक प्रकृति की थी। अपीलकर्ता से केवल तीन संक्षिप्त प्रश्न पूछे गए थे, जिनका उसने खंडन किया:

"प्रश्न 1. आपके खिलाफ एक गवाह है कि जब मुखबिर वी. अंशुमाला तिग्गा स्कूल जा रही थी तो आप तोमरा नहर के पास छिपे हुए थे और मुखबिर को एकांत में पाकर आपने चाकू की नोंक पर उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बलात्कार किया।

प्रश्न 2. बलात्कार के बाद जब सूचक अपने माता-पिता को घटना की जानकारी देने के लिए रोते हुए अपने घर भागी और जब सूचक के माता-पिता आपके पास घटना के बारे में पूछताछ करने आए, तो आपने उनसे कहा कि "यदि मैंने बलात्कार किया है तो मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा"।

प्रश्न 3. आपके निर्देश पर, मुखबिर के माता-पिता ने मुखबिर का "लोटा पानी" समारोह किया, जिसमें मुखबिर के साथ-साथ आपके माता-पिता भी उपस्थित थे, साथ ही उक्त समारोह में आपके माता-पिता ने मुखबिर को एक साड़ी और एक ब्लाउज उपहार में दिया था और मुखबिर के माता-पिता ने आपको कुछ कपड़े भी उपहार में दिए थे।"

8. यह बात सर्वविदित है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त के सामने न रखी गई परिस्थितियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, और उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का महत्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है क्योंकि यह उसे न केवल अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उसके खिलाफ अपराध करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का भी अवसर प्रदान करता है। अभियुक्त द्वारा उठाया गया संभावित बचाव उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के बिना आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है।"

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य

में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशिष्ट रूप से, अलग-अलग और अलग-अलग प्रस्तुत करना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसे दोषी ठहराना चाहता है। धारा 313 के तहत अभियुक्त की जांच का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उनके विरुद्ध दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है। अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है और यदि यह साबित हो जाता है कि इससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है तो यह मुकदमे को प्रभावित करेगा।

26. उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर, यदि अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि न्यायालय पटना उच्च न्यायालय सी.आर. एपीपी (डी.बी.) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 ने अभियुक्तों के समक्ष कोई दोषपूर्ण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता-अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, जैसा कि अपीलकर्ता और एमिकस क्यूरी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है।"

26. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से तथा अलग-अलग प्रस्तुत करना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है। भौतिक परिस्थितियों का अर्थ है उस सामग्री की परिस्थिति जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसे दोषसिद्ध करना चाहता है। धारा 313 के अंतर्गत जांच का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है। अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इससे अभियुक्त के प्रति पक्षपात हुआ है तो यह मुकदमे को प्रभावित करेगा।

27. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह अभियुक्त द्वारा लिया गया एक विशिष्ट बचाव है कि, संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय अभियुक्त के खिलाफ उक्त भौतिक साक्ष्य नहीं रखने के कारण उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि, वर्तमान मामले में, जब अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर दोषसिद्धि की मांग की है, जिसके आधार पर मानव कंकाल और अन्य सामग्री की तथाकथित खोज की गई थी, तो उसे पटना उच्च न्यायालय के सीआर एपीपी (डीबी) संख्या 949/2017 दिनांक 06-05-2024 के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। इस प्रकार,

उपरोक्त एक गंभीर अनियमितता थी जो ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई थी। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट अभियुक्त के सामने ऐसी भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफल रहा है

28. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की उन श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिनसे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलकर्ताओं/दोषियों ने कथित अपराध किए हैं और इसलिए, अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है।

29. रामपुर पीएस केस संख्या 300/2014 दिनांक 19.10.2014, जीआर संख्या 5084/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 51/2015 (एसजे)/35/2017 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित दिनांक 22.06.2017 के दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और दिनांक 03.07.2017 के सजा के आदेश को खारिज किया जाता है और उसे रद्द किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

30. अपीलकर्ता, अर्थात् अंचल चौधरी उर्फ गोलू चौधरी, आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 949/2017 में और अपीलकर्ता, अर्थात् शंकर मांझी और राज कुमार मांझी, आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1050/2017 में जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

31. अपीलकर्ता, अर्थात् विक्की कुमार, आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 949/2017 हिरासत में है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो।

32. तदनुसार, ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।